an>

Title: Regarding need to take stringent measures to check adulteration of milk and also take measures to stop slaughter of milch animals in the country.

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अच्छा और पौÂिटक दूध समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता आंशिक रूप से दूधधारी पशुओं से पूरी नहीं हो पाती है। देश में दूध की मांग और पूर्ति में प्रतिवÂान 18 लाख टन की कमी होती है। इसी अंतर को पाटने का काम कृत्रिम दूध कर रहा है। इससे समाज के हर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाज़ार में दूध उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का लाभ दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। वे दूध की विभिन्न श्रेणियाँ जैसे- डायमण्ड, फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड बनाकर जनता की जेब पर भार डालने का काम कर रही है। रही-सही कसर मिलावटी दूध बनाने वाले पूरा कर रहे हैं। "फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट" बहुत ही लचीला है जिससे मिलावटी दूध बनाने और बेचने वाले इसका लाभ लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों को आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में लाना चाहिए और इस हेतु कानून में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

दूध की कमी का कृत्रिम अभाव अवैध बूचड़खाने भी हैं। इसके आंकड़ें भी बड़े भयावह हैं। वÂान 2004 में जहाँ यह आंकड़ा 30 हज़ार का था, वहीं यह अब लाखों में पहुँच गया है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि दुधारू पशुओं की चोरी की घटनाएँ आये दिन बढ़ रही हैं।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाएं जाए और दूसरा, दुधारू पशुओं का वध रोकने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।